"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2020 — फाल्गुन 28, शक 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 मार्च 2020

आदेश

क्रमांक एफ 13-14/2020/17-दो. — कोविड-19, जो चीन के वुहान शहर में उत्पन्न हुई थी, अब लगभग 120 देशो में 130000 से अधिक लोगों में फैल चुकी है तथा अब तक लगभग 5000 लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं. भारत में भी कोविड-19 से संक्रमित 02 व्यक्तियों की मृत्यु सहित प्रयोगशाला के परीक्षण में 102 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया हैं.

उपरोक्त आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुये, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 अधिसूचित किया गया हैं जिसमें निम्नलिखित वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है :-

"मास्क (2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) एवं हैंड सेनेटाइजर"

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इन वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी को रोकने के साथ-साथ उनकी उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित करने के लिए तथा मूल्य, जो कि आवश्यक वस्तुओं के पैकेट पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक न हो, पर विक्रय नियंत्रण स्थापित करने के लिये, निम्नलिखित अधिकारियों को आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 को प्रवर्तित करने हेतु सशक्त करती है :-

स. क्र. (1)	अधिकारी (अधिकारीगण) (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1.	औषधि नियंत्रण प्राधिकारी	छत्तीसगढ़ राज्य
2.	आयुक्त, नगर पालिक निगम	संबंधित जिला क्षेत्र
3.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी	संबंधित अनुविभागीय क्षेत्र
4.	सहायक औषधि नियंत्रक	संबंधित जिला/क्षेत्र
5.	औषधि निरीक्षक	संबंधित जिला/क्षेत्र
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	संबंधित नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत

यह आदेश, तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा तथा दिनांक 30 जून 2020 तक की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 18th March 2020

ORDER

No. F 13-14/2020/17-2. — Covid-19 which originated in Wuhan city of China has now spread to about 120 countries more than 1,30,000 persons and has taken about 5000 lives so far. India has also reported about 102 laboratory tested positive cases with two deaths from Covid-19. WHO has declared Covid-19 as a global pandemic.

Keeping in view of the above emergent situation, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Sec. 2A of the Essential commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government has notified Essential commodities Order, 2020 declaring the following items as Essential Commodities :

"Mask (2 ply, 3 ply surgical mask, N95 masks) & hand sanitizers."

In pursuance of the above order, the State Government hereby, empowers the following officers to enforce Essential Commodities Order, 2020 to ensure prevention of hoarding, black marketing and profiteering of these items as well as monitor their availability and distribution and to establish control at a prices not exceeding the maximum retail price (MRP) printed on the packet of essential commodities :-

S. No. (1)	Officer (S) (2)	Jurisdiction (3)
1.	Drug Controlling Authority	Chhattisgarh State
2.	Commissioner Municipal Corporation	Respective Districts Areas
3.	Sub Divisional Magistrate	Respective Sub Division Area
4.	Assistant Drugs Controller	Respective Districts/Area
5.	Drugs Inspector	Respective Districts/Area
6.	Chief Municipal Officer	Respective Municipalities & Nagar Panchayats

This order will come into force with immediate effect and shall remain in force for a period up to 30th June, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIHARIKA BARIK SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.